

प्रेस नोट

दिनांक 15.03.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 अदद बंदूक मय 02 अदद खोखा व 04 अदद जिन्दा कारतूस बरामद—

कार्यवाही:—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0— 221/2026 में धारा 109(1), 352, 351(3) बीएनएस व 5/27/30 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त राम सिंह पुत्र स्व0 अमर सिंह को मनकापुर बस अड्डे के पास स्थित एक खंडहर मकान से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद डीबीबीएल बंदूक मय 02 अदद खोखा व 04 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 13.03.2026 को समय करीब 18:00 बजे थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा क्षेत्र में मकान के विवाद को लेकर राम सिंह पुत्र स्व० अमर सिंह अपने दो अज्ञात साथियों के साथ लक्ष्मन सिंह के मकान पर पहुँचकर गाली-गलौज करते हुए फायर कर दिया था। फायरिंग में सुजीत सिंह के सीने के नीचे गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुँचकर घायल को उपचार हेतु पहले डा० ओ०एन० पाण्डेय अस्पताल गोण्डा तथा बाद में पीजीआई लखनऊ रेफर किया गया। वादी अजीत सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह नि० धोबहाराय थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 15.03.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त राम सिंह पुत्र स्व० अमर सिंह को मनकापुर बस अड्डे के पास स्थित एक खंडहर मकान से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद डीबीबीएल बंदूक मय 02 अदद खोखा व 04 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राम सिंह पुत्र स्व० अमर सिंह निवासी 79/2 सिविल लाइन थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0— 221/2026 में धारा 109(1), 352, 351(3) बीएनएस व 5/27/30 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद बंदूक मय 02 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० अजय कुमार तिवारी
02. का० विनय प्रताप
03. का० चन्द्रजीत चौहान

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 15.03.2026

थाना खोडारे पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

कार्यवाही:—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना खोडारे पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0— 49/2026 धारा 191(2),115(2),352,351(3),61(2),3(5),109(1) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त रामतीरथ वर्मा पुत्र रामलौट निवासी ग्राम महाराजगंज ग्रन्ट थाना खोडारे जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

वादी संदीप पुत्र कन्हैया निवासी ग्राम महाराजगंज ग्रान्ट थाना खोडारे जनपद गोण्डा द्वारा थाना खोडारे में लिखित तहरीर दी गयी कि पुरानी रंजिश के कारण रामतीरथ वर्मा पुत्र रामलौट निवासी ग्राम महाराजगंज ग्रान्ट थाना खोडारे जनपद गोण्डा द्वारा रास्ते में धमकी दिलायी जा रही थी। दिनांक 11.03.2026 को समय करीब शाम 05:00 बजे वादी का भाई प्रदीप घर से बभनान बाजार जा रहा था कि मकोड्या मोड़ के पास विपक्षी विनोद वर्मा पुत्र तीरथराम निवासी महाराजगंज ग्रान्ट, अभिषेक राणा पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात, अक्षय पुत्र अज्ञात निवासी सकदरपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा तथा 2-3 अज्ञात व्यक्तियों ने एकराय होकर उसे गाली-गलौज करते हुए लाठी-डण्डा व रॉड से मारपीट की। मारपीट में प्रदीप के दाहिने पैर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आयीं हैं। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना खोडारे में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 15.03.2026 को थाना खोडारे पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त रामतीरथ वर्मा पुत्र रामलौट निवासी ग्राम महाराजगंज ग्रन्ट थाना खोडारे जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोडारे पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रामतीरथ वर्मा पुत्र रामलौट निवासी ग्राम महाराजगंज ग्रन्ट थाना खोडारे जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0— 49/2026 धारा 191(2),115(2),352,351(3),61(2),3(5),109(1) बीएनएस थाना खोडारे जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 रामतेज
02. उ0नि0 विकाऊ प्रसाद
03. हे0का0 अजय शुक्ला
04. हे0का0 नागेन्द्र नायक

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 15.03.2026

उ०नि० नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण, परीक्षा सकुशल सम्पन्न:—

गोण्डा। आज दिनांक 15.03.2026 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा आयोजित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा-2025 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया, चेकिंग/फ्रिस्किंग व्यवस्था, परीक्षा कक्षों की व्यवस्थाओं तथा अन्य आवश्यक प्रबंधों का जायजा लिया गया। इस दौरान परीक्षा केन्द्रों पर स्थापित सी०सी०टी०वी० कैमरों की कार्यशीलता भी चेक की गई, जिससे परीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों एवं केन्द्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया गया कि परीक्षा को पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया जाए तथा अभ्यर्थियों की नियमानुसार सघन चेकिंग सुनिश्चित की जाए। आज दिनांक 15.03.2026 को आयोजित परीक्षा की प्रथम पाली में कुल 4800 अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होना था, जिसमें से 3501 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1299 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार द्वितीय पाली में भी कुल 4800 अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होना था, जिसमें से 3517 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1283 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सकुशल ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जनपद के सभी परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों के आसपास सतत निगरानी रखी गई तथा भ्रमणशील पुलिस टीमों लगातार गश्त करती रहीं, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी रही। जनपद प्रशासन एवं पुलिस विभाग के समन्वय से परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।